प्रेस नोट जनपद मऊ दिनांक : 21/05/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जिसका विवरण निम्नवत है।

थानावार गिरफ्तारी का विवरण:

1. थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मु0अ0स0 98/2026 धारा 69/89/316(2) बीएनएस थाना दोहरीघाट, एक युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला एक नफर अभियुक्त रौनक कुमार पुत्र राजेश निवासी अमरौला देह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को नई बाजार अण्डर पास से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
2. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0स0 148/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित वाछिंत अभियुक्त जीशान पुत्र अजमल अली निवासी हट्टी मदारी थाना कोतवाली नगर के कब्जे से 01 अदद चोरी की मोबाइल तथा 350 रुपये नगद बरामद कर भरहूपुरा रोड से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
3. थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त फिरोज पुत्र इम्तियाज निवासी रघुनाथपुरा थाना कोतवाली नगर थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त इस्तियाक अहमद पुत्र जमालुउद्दीन निवासी हकीमपुरा थाना कोपागज को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
4. थाना घोसी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने को लेकर मु0अ0स 198/26 धारा 352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त बिशाल यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी जैनापुर थाना घोसी को गिफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 21.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 41 टीम गठित कर जनपद के 46 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 483 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

यातायात को सुगम बनाने के दृष्टिगत मिर्जाहादीपुरा में ठेला लगाकर सड़क पर अतिक्रमण करके सब्जी/फल बेचने 16 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही -

दिनांक 20.05.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ महोदय के निर्देशन व कुशल पर्वेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर मऊ के कुशल नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने के उदेश्य से सायंकाल में मिर्जाहादीपुरा व उसके आस पास सड़क पर अतिक्रमण करके फल व सब्जी बेचने वाले 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण न करने व आवागमन का बाधित न करने के सन्दर्भ में सख्त हिदायत की गई है।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलो में 01 पीड़ित को 125000 रुपये की धनराशि वापस कराई गई–

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन की साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 01 पीड़ित की धनराशि वापस कराई गई।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के थाना मधुबन से पीड़ित विजय कुमार चौहान पुत्र नरसिंह चौहान निवासी इब्राहिमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ की कुल धनराशि 125000 /-रुपये उनके खाते में वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर *1930* अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।